



# कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर - 342001

email- jdajodhpur@yahoo.com वेब-साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 021-2612086


क्रमांक: F37(2)/नि.आ./बीपीसी(एलपी)/का.वि./2018 /3731

दिनांक:- 14.02.2018

--:कार्यवाही विवरण:- (जोन पश्चिम)

भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 01/2018 वीं बैठक दिनांक 07.02.2018 को अपराह्न 12.00 बजे जोधपुर विकास प्राधिकरण अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई. इसमें प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श किया जाकर निम्नवत निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट-"1" पर है।


क्रम संख्या	एजेण्डा संख्या	विषय	निर्णय
1.	1.	<p>राजस्व ग्राम चैनसिंह नगर के खसरा संख्या 237/7, 237/12 के रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा भूमि का फार्म हाउस (एकल भूखण्ड) प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत ।</p> <p>आवेदक :- श्रीमती चिडी देवी पत्नि श्री छैलाराम (जोन पश्चिम)</p>	<p>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. आवेदित भूमि मास्टर डवलपमेंट प्लान 2031 (प्रारूप) के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में आरक्षित है, मास्टर की डी.सी.आर. अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में फार्म हाउस अनुज्ञेय है।</li> <li>2. आवेदित भूमि बड़ा कोटेचा से बालरवा जाने वाली सड़क पर स्थित है, जिसका मार्गाधिकार जोन चैक लिस्ट अनुसार मौके पर 30 फीट उपलब्ध है।</li> <li>3. आवेदित भूमि के सामने स्थित सड़क का मार्गाधिकार ले-आउट प्लान में 60 फीट प्रस्तावित की गयी है, उक्त राजस्व रास्ता की मार्गाधिकार का निर्धारण किया जाना प्रस्तावित है।</li> <li>4. आवेदित भूमि के सुपरईम्पोज मानचित्र में मौके पर विद्यमान सड़क के मध्य बिन्दु से आवेदित भूमि की दूरी हेतु पटवारी/कनिष्ठ अभियंता से मानचित्र पर दूरी अंकित किया जाना अपेक्षित है।</li> <li>5. पत्रावली में संलग्न ले-आउट प्लान में आवेदित भूमि में 11 के.वी. की इलेक्ट्रिक लाईन गुजर रही है।</li> </ol> <p>समिति द्वारा प्रकरण के संबंध में निम्नांकित शर्तों के अधीन फार्म हाउस प्रयोजनार्थ ले-आउट अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया -</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. आवेदित भूमि बड़ा कोटेचा से बालरवा जाने वाली सड़क पर स्थित है, उक्त सड़क का मार्गाधिकार 100 फीट रखते हुये सड़क हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से निःशुल्क समर्पित की जावे।</li> <li>2. आवेदित भूमि में 11 के.वी. की विद्युत लाईन स्थित है। अतः भवन निर्माण के समय निर्धारित दूरी छोड़ते हुये नियमानुसार निर्माण स्वीकृति दी जानी होगी।</li> <li>3. मौका रिपोर्ट अनुसार सैटबैक क्षेत्र में निर्मित कमरे को हटाये जाने के उपरान्त ही प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही जोन स्तर से की जानी होगी।</li> <li>4. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत जोन स्तर से शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।</li> <li>5. अनुमोदित किये जा रहे ले-आउट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही कि जावे ताकि ले-आउट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे।</li> <li>6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व एकीकृत भवन विनियम, 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।</li> <li>7. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवारी प्रार्थी की स्वयं की होगी।</li> <li>8. अनुमोदित एकल भूखण्ड का भविष्य में उपविभाजन नहीं किया जावे। इस हेतु संबंधित जोन उपायुक्त पट्टा जारी करते हुये उप महानिरीक्षक (पंजीयन एवम मुद्रांक) विभाग को सूचित करे कि संबंधित भूखण्ड एकल भूखण्ड हेतु अनुमोदित किया गया है। अतः भविष्य में उक्त भूखण्डों की टुकड़ों में रजिस्ट्ररी न की जावे।</li> <li>9. आयोजना शाखा ले-आउट प्लान अनुसार मानचित्र आयुक्त महोदय से अनुमोदित करवाकर जारी करे।</li> </ol>

  
 (पी.आर.बेनीवाल)  
 निदेशक (आयोजना),  
 एवं सदस्य सचिव,

दिनांक- 14.02.2018

क्रमांक: F37(3)/नि.आ./बीपीसी(एलपी)/का.वि./2018/ 3731-3737  
 प्रतिलिपी :- निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, अध्यक्ष महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
2. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
3. वरिष्ठ निजी सहायक, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
4. निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
5. उपायुक्त (पश्चिम), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
6. एसीपी श्री देवेन्द्र गोहलोत को भेजकर लेख है कि इसे जो.वि.प्रा. की वेबसाईट पर अपलोड करें।


  
 निदेशक (आयोजना),

परिशिष्ट-“1”

भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 01/2018 वीं बैठक दिनांक 07.02.2018 को जोधपुर विकास प्राधिकरण अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में अध्यक्ष महोदय के कक्ष में आयोजित हुई, बैठक में उपस्थिति निम्नवत थी:-

1. श्री महेन्द्र सिंह राठौड़, अध्यक्ष, जो.वि.प्रा., जोधपुर।
2. श्री दुर्गेश कुमार बिस्सा आयुक्त, जो.वि.प्रा. जोधपुर।
3. श्री अरुण पुरोहित, सचिव, जो.वि.प्रा. जोधपुर।
4. श्री सुखराम चौधरी, निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा. जोधपुर।
5. श्रीमति चंचल वर्मा, उपायुक्त (पश्चिम), जो.वि.प्रा., जोधपुर।
6. श्री पी.आर. बेनीवाल निदेशक (आयोजना), जो.वि.प्रा. जोधपुर।

अध्यक्ष  
 संयोजक  
 सदस्य  
 सदस्य  
 सदस्य  
 सदस्य सचिव

  
 निदेशक (आयोजना),  
 एवं सदस्य सचिव,  
 भवन मानचित्र समिति (एल.पी)